न्यायालय सहायक कलक्टर, भदेसर जिला–चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – सुश्री अंजू शर्मा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या
133 / 2013

निर्णय दिनांक
26 / 05 / 2022

अनवान

1. हुडी बाई पुत्री मोती जाति गाडरी उम्र वयस्क निवासी साल का खेडा तहसील भदेसर

---वादी

बनाम

1. नोला पिता सोराम जाति गाडरी उम्र वयस्क निवासी साल का खेडा तहसील भदेसर मृतक के बजाय
1. हजारी पिता नोला जाति गाडरी उम्र वयस्क निवासी साल का खेडा सील भदेसर
2. गमेरा पिता सोराम जाति गाडरी उम्र वयस्क निवासी साल का खेडा तहसील भदेसर
3. फतु उर्फ रतनलाल पिता सोराम जाति गाडरी उम्र वयस्क निवासी साल का खेडा तहसील भदेसर
4. भैरुलाल पिता किशना जाति गाडरी उम्र वयस्क निवासी साल का खेडा तहसील भदेसर
5. भूमिधारी जरिये तहसीलदार भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़

---प्रतिवादीग

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,188,एवं 53 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट

1. वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि मौजा ग्राम मगरदा पटवार हल्का आसावरा तहसील भदेसर के खाता संख्या नये 70 पुराने 46 में अंकित आराजी नम्बर 39,40,41,42, किता 4 कुल रकबा 23 बीघा 3 बिस्वा स्थित है।
2. कि सोराम के 6 पुत्र थे जिसमें से रुपा, गोटु, लाओलाद फौत हो चुके है तथा नोला, गमेरा, व फत्तु उर्फ रतन है जो प्रतिवादी संख्या 1,2,3 है एवं मोती जी फौत हो चुके है जिनके एक लडकी पैदा हुई जो वादीया है। प्रतिवादी संख्या 1,2,3 के मन में मोती जी एवं रुपा, गोटु फौत हो जाने के बाद बदनियति आ जाने से पटवारी व सरपंच से मील कर दिनांक 03/06/1989 को वादीया मोती जी की पुत्री होते हुए भी उसका नाम राजस्व रेकार्ड से विलोपित करवाकर समस्त भूमि का इंतकाल

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला–चित्तौड़गढ़

अपने नाम फैसल करवा लिया इसलिए वादीया अपने हिस्से की घोषणा कराकर राजस्व रेकार्ड मे अपना नाम अंकित कराने की अधिकारिणी है। वादीया वक्त फैसल इंतकाल नाबालिग थी जिससे उसे राजस्व रेकार्ड में उसका नाम के अकन होने की जानकारी नहीं हो सकी।

. कि उक्त आरजियात में वादीया का 1/8 हक हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 का 1/8 हक हिस्सा निहित है एवं प्रतिवादी संख्या 4 का 1/2 हक हिस्सा निहित है और उसी अनुसार रेकार्ड में अंकन कराया जाना आवश्यक है।

4. कि आराजीयात पूश्तैनी होकर स्व. मोती जी के हिस्से में वादीया एक पुत्री होने से उनके हिस्से की हकदार है इसी पकार रुपा व गोटु के लाओलाद फौत होने से उनके हक हक हिस्से में भी वादीया का हक हिस्सा निहित है इस प्रकार वादीया का 1/8 हक हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 का 1/8 हक हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 का 1/8 हक हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 का 1/8 हक हिस्सा निहित है एवं प्रतिवादी संख्या 4 का 1/2 हक हिस्सा निहित है ओर इसी अनुसार वादीया अब आराजीयात को संयुक्त नहीं रखना चाहती है और मिट्स एण्ड बाउण्डस में विभाजन कराकर अच्छी से अच्छी व बूरी से बुरी में अपना हिस्सा रखाने की की अधिकारणी है।

अतः प्रार्थना है कि पक्ष वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण वाद पत्र की कलम संख्या 01 में वर्णित मौजा ग्राम मगरदा पटवार हल्का आसावरा तहसील भदेसर के खाता संख्या नये 70 पुराने 46 में अंकित आराजी नम्बर 39,40,41,42, किता 4 कुल रकबा 23 बीघा 3 बिस्वा स्थित है। वादीया का 1/8 हिस्सा घोषित किये जाने की डिक्री पारित फरमावे।

इस पर वादीगण के वाद को दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 3 की और से काउन्टर क्लेम पेश हुआ जो वादी द्वारा काउन्टर क्लेम पर आपत्ती नहीं होने से स्वीकार किया गया। वकील वादी द्वारा वादीया हुडीबाई, मथरालाल जाट, के शपथ पत्र पेश किये गये। वादीया के अधिवक्ता द्वारा वाद पत्र से बंटवाडा आराजीयात दाद विलोपित किये जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो स्वीकार किया गया एवं प्रतिवादीगण दिनांक 23/05/2022 को अनुपस्थित रहने से उनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये।

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से बखूबी साबित कराया है कि रुपा व गोटु लाओलाद फौत हुए ओर वादीया हुडीबाई मोती

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला-चित्तौड़गढ़

जी की पुत्री है जिसका अंकन इंतकाल संख्या 152 दिनांक 03/06/1989 में है। सिर्फ वादीया दिनांक 03/06/1989 को नांबालिग होने से मोती जी की विरासत का इंतकाल वादीया के नाम फैसल नहीं किया जबकि वादीया हुडीबाई के नाम जमांबदी संवत 2065-68 में खाता संख्या 145 आराजी नम्बर 72 रकबा 4 बीघा 6 बिस्वा में मोती जी की विरासत से आई। हाल राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादी संख्या 3 फत्तु का नाम रतनलाल शुद्धी से दर्ज हो चुका है।

अतः वादीया का वाद स्वीकार किया जाता है वादीया हुडीबाई को वादग्रस्त आराजीयात का 1/8 वां हक हिस्से की खातेदारी काश्तकारी घोषित किया जाकर प्रश्नगत मौजा ग्राम मगरदा पटवार हल्का आसावरा तहसील भदेसर के खाता संख्या नये 70 पुराने 46 में अंकित आराजी नम्बर 39,40,41,42, किता 4 कुल रकबा 23 बीघा 3 बिस्वा जिसके भूप्रबंध होने से नवीन आराजी नम्बर 72, 73, 74, 75,76, कुल किता 5 कुल रकबा 5.00 हैक्टयर भूमि में वादीया हुडीबाई का 1/8 वां हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 नोला के वारिसायन का 1/8 वां हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 गमेरा व प्रतिवादी संख्या 3 रतनलाल का प्रत्येक का 1/8 वा हिस्सा प्रतिवादी संख्या 4 भेरुलाल का 1/2 हिस्सा अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल बरामद किया जावें। इसी आशय का पर्चा डिक्री अलग से जारी हो।

निर्णय खुले न्यायालय टंकित कराया जाकर सुनाया गया ।

(अंजू शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
भदेसर